वन विभाग, उत्तराखण्ड 1926
Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

International Year of Cooperatives 2025

पत्रांक- 826 / 12-1 दिनांक, देहरादून 12 सितम्बर, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय : जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ONLINE NO. FP/UK/ROAD/126434/2021)

सन्दर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 126 / 2021 / एफ0सी0 / 1454। एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक–2266 / 25 सी, दिनांक 06.06.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 645 / 12–1 दिनांक– 04.09.2025 द्वारा से बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है–

क्र.0.	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no. I, it is observed that CA area has now been changed. As per DSS analysis of the CA area, complete area found in MDF. Further, it is observed that the area is steep and prone to landslide hence does not seems to be suitable for plantation. State Government is requested to submit revised CA area after carrying out inspection by the DFO to avoid any further delay in the proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के चयन हेतु उपजिलाधिकारी, चकराता कार्यालय के पत्रांक–568 / र0का0 / 2024, दिनांक 21.06.2024 द्वारा ग्राम गुठाड़ खत बौन्दूर तहसील–चकराता के खसरा संख्या–784 क्षेत्रफल 3.529 है0 में से 3.22 है0 क्षेत्र चयनित किया गया, जिसका दिनांक 20.07.2024 को वन विभाग, राजस्व एवं लो0नि0वि0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। परन्तु मौके पर चयनित स्थल सी0ए0 लैंड हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। पुनः ग्राम–गुठाड में ही ग्रामवासियों की सहमति पर खसरा संख्या–2007 क्षेत्रफल 68.86 है0 में से 3.22 है0 भूमि चयनित की गई। उक्त भूमि का विवरण परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया हैं।
2	In reply to point no. 2, detailed justification is still not found uploaded. The road is proposed on the edge of mountain. Possibilities of rolling down of muck seems unavoidable. Further the area seems connected from forest road or LVR. A detailed justification for the construction of the road is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि में मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत औचित्य परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस मार्ग का संरेखण ग्राम भलेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मजरे (तोक / उप गांव) को अधिक से अधिक संयोजन व लाभान्वित हो सके को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। ढाल वाले स्थानों पर मार्ग निर्माण करते समय उत्सर्जित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग स्थल चिन्हित किये गये है, जो मलवा निस्तारण हेतु वांछित मानचित्र में दर्शाये गये हैं। उक्त सभी ग्राम किसी एल0वी0आर0 / वन मार्ग से नही जुडे हुए है। मार्ग का आरम्भिक बिन्दु मदर्सू को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के एच0पी0 बैंड से आरम्भ होता है, मार्ग निर्माण से पर्यावरण के किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतः दूरस्थ स्थानों पर बसे ग्राम भलेर व उसके मजरों / तोकों को जनहित में मार्ग निर्माण कर यातायात की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
3	In replies to point no. 5, it is requested to upload the details of 37 trees falling in the 7-meter width which are actually	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है। प्रस्ताव के प्रारूप–21 में तीन कक्षों (उ0विन्हार–1बी में 20 वृक्ष,

0/c

क्र.0.	आपत्ति	निराकरण
	required to be felled.	उ0विन्हार–2 में 26 एवं उ0विन्हार–03 में 37 कुल 83 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रों में 0–10 व्यास वर्ग के 15 प्रभावित होने वाले वृक्षों को जोडते हुए कुल 98 वृक्ष प्रभावित होंगे।
4	In reply to point no. 6, clarification about road side plantation is still not provided. which is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार उक्त प्रस्ताव में पथ वृक्षारोपण कार्य नहीं किया जायेगा। प्रस्ताव के सापेक्ष 3.22 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। **(प्रति संलग्नक)**
5	The population of village 'Bhaler' is in formed as 713 whereas. as per Google Earlh image, only a few houses are visible. Either the population figure is not correct or the location of the village is marked wrongly. As per the present location, the requirement of the proposed road does not seem to be justified. State Government is requested to review the same and submit correct information or justification of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग के अनुसार ग्राम सभा भलेर के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले मजरे (उप गांव) काण्डोई नकोड़, फारसीला, भदोगी, उदियाखेत, भायला, टापर डूंगा की जनसंख्या का प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, बिन्हार क्षेत्र में वर्ष 1938 से बन्दोबस्त न होने से सभी मजरे राजस्व ग्राम घोषित नहीं हुये हैं, यह सभी मजरे अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में हैं। जहां पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है। यातायात न होने से पलायन का खतरा बना हुआ है। अतः मार्गों के संयोजन हेतु जनहित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें। ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 826 /12–1 तदि्दनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी कालसी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C

\f\Phone\letter from 09-09-2025.docx